



# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

## असाधारण भाग चार-क

वर्ष ८ अंक ५५]

शुक्रवार, डिसेंबर ९, २०२२/अग्रहायण १८, शके १९४४

[पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ८३

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)

वैधानिक नियम व आदेश; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क), जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

### ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road,

New Delhi 110 001, dated 24th November 2022  
3 Agrahayana, 1944 (Saka)

### NOTIFICATION

No. 429/MH/2021(2).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13C of the Representation of People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India hereby directs that following amendment shall be made in its Notification No. 429/MH/2021(2) dated 17th March 2021 and 3rd September 2021, as amended from time to time, relating to the appointment of Assistant Electoral Registration Officers for Assembly Constituencies in the State of Maharashtra Namely :—

(१)

(A) In column (2) of the Table appended to the said notification for the existing entry against item under column (1), the following entry shall be substituted :—

TABLE

No. and Name of Assembly Constituency (1)	Assistant Electoral Registration Officer (2)	
7—Dhule City	2	Deputy Commissioner (Tax), Dhule Municipal Corporation, Dhule
137—Bhiwandi East	1	Additional Tahsildar (NA), Bhiwandi
150—Airoli	1	Tahsildar (Sandlot), Collector Office, Thane
206—Pimpri (SC)	1	Uppar Tahsildar, Pimpri-Chinchwad Tahsil, Pune.
207—Bhosari	2	Assistant Commissioner, Slum Removal and Rehabilitation Department, Pimpri-Chinchwad, Pune.

(B) In column (2) of the Table appended to the said notification after the existing entry against item under column (1) the following entry shall be added :—

TABLE

No. and Name of Assembly Constituency (1)	Assistant Electoral Registration Officer (2)	
186—Mumbadevi	3	State Tax Officer, Office of the State Tax Joint Commissioner, Nodal—5, M.T.N.L. Building, 5th Floor, Mazgaon, Mumbai-10.

By Order,

S. K. DAS,  
Secretary,

Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,

नई दिल्ली 110 001, दिनांक —  $\frac{24 \text{ नवम्बर, 2022}}{3 \text{ अग्रहायण, 1944 (शक)}}$

**अधिसूचना**

सं. 429/एम एच/2021 (2).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13ग की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा यह निदेश देता है कि, महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति से सम्बन्धित, समय-समय पर यथा संशोधित, अपनी दिनांक 17 मार्च, 2021 एवं 3 सितम्बर, 2021 की अधिसूचना सं. 429/एम एच/2021 (2) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे अर्थात् :—

(क) उक्त अधिसूचना संलग्न में सारणी के स्तम्भ (2) में, स्तंभ (1) के अंतर्गत मद के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :—

**सारणी**

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सं. और नाम (1)	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (2)
7-धुले शहर . . . . .	2 डिप्टी कमिश्नर (कर), धुले नगर निगम, धुले
137-भिवंडी पूर्व. . . . .	1 अपर तहसीलदार (एन ए), भिवंडी
150-ऐरोली . . . . .	1 तहसीलदार (सेंडलाट), कलेक्टर कार्यालय, ठाणे
206-पिंपरी (अ.जा.) . . . . .	1 अपर तहसीलदार, पिंपरी-चिंचवड तहसील, पुणे
207-भोसरी . . . . .	2 सहायक आयुक्त, स्लम निष्कासन एवं पुनर्वास विभाग, पिंपरी-चिंचवड, पुणे.

(ख) उक्त अधिसूचना में संलग्न सारणी के स्तंभ (2) में, स्तंभ (1) की अंतर्गत मद के सामने विद्यमान प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :—

**सारणी**

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सं. और नाम (1)	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (2)
186-मुम्बादेवी . . . . .	3 राज्य कर अधिकारी, राज्य कर संयुक्त आयुक्त का कार्यालय, नोडल-5, एम.टी.एन.एल. भवन, 5 वीं मंजिल, मजगाव, मुम्बई-10.

आदेश से,

**एस. के. दास,**  
सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग।

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

Nirvachan Sadan, Ashoka Road,

New Delhi 110 001, dated 7th December 2022  
16 Agrahayana, 1944 (Saka)**NOTIFICATION**

No. 429/MH/2021(2).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 C of the Representation of People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India hereby directs that following amendment shall be made in its Notification No. 429/MH/2021 (2) dated 17th March 2021 and 22nd November 2021, as amended from time to time, relating to the appointment of Assistant Electoral Registration Officers for Assembly Constituencies in the State of Maharashtra Namely :—

In column (2) of the Table appended to the said notification for the existing entry against item under column (1), the following entry shall be substituted :—

TABLE

No. and Name of Assembly Constituency (1)	Assistant Electoral Registration Officer (2)	
96—Parbhani	2	Naib Tahsildar (Revenue-1), Tahsil Office Parbhani.

By Order,

S. K. DAS,  
Secretary,

Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,

नई दिल्ली 110 001, दिनांक —  $\frac{7 \text{ दिसम्बर } 2022}{16 \text{ अग्रहायण, } 1944 \text{ (शक)}}$

**अधिसूचना**

सं. 429/एम एच/2021 (2).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13ग की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा यह निदेश देता है कि, महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति से सम्बन्धित, समय-समय पर यथा संशोधित, अपनी दिनांक 17 मार्च, 2021 एवं 22 नवम्बर 2021 की अधिसूचना सं. 429/एम एच/2021 (2) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में, स्तंभ (1) के अंतर्गत मद के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :—

**सारणी**

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सं. और नाम (1)	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (2)
96-परभणी . . . . .	2 नायब तहसीलदार (राजस्व-1), तहसील कार्यालय, परभणी.

आदेश से,

एस. के. दास,  
सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग।

क्रमांक ईआरओ-२०२०/प्र.क्र. ६०४/२०/३३

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,

दिनांक ९ डिसेंबर २०२२.

**प्रत, माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :—**

- (१) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई.
- (२) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, धुळे, ठाणे, पुणे, मुंबई शहर, परभणी.
- (३) उप जिल्हाधिकारी व उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी, धुळे, ठाणे, पुणे, मुंबई शहर, परभणी.
- (४) निवडनस्ती.

**म. रा. पारकर,**

उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी,

महाराष्ट्र राज्य.